न्यायालयः—अति.सिविल न्यायाधीश, संख्या—2, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— प्रियंका पारीक, आर.जे.एस.

विविध दीवानी प्र. सं. :— 15/2014
(संबद्ध दीवानी वाद 50/2012)
(computer e.no. 04/2015)

धर्मसिंह पुत्र महेन्द्र रायसिख निवासी 3 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—प्रार्थी/वादी

बनाम्

1— जिलाधीश, श्रीगंगानगर।
2— तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

—अप्रार्थी/प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रतिनिधित्वः—
1— श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़, अधिवक्ता—प्रार्थी/वादी पक्ष
2— राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी/प्रतिवादी पक्ष

न्यायालय द्वाराः—

—:: **आदेश** ::— **दिनांकः—09.07.2015**

1. प्रार्थी/वादी पक्ष की ओर से मूल वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष का मूलतः न्यायालय सिविल न्यायाधीश, श्रीगंगानगर में दिनांक 29.04.2014 को प्रस्तुत किया गया एंव उसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। जो दोनों प्रकरण विधिवत् सुनवाई व निस्तारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दिनांक 1.05.2014 को पंजीबद्ध किये गए हैं।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यानुसार प्रार्थी/वादी पक्ष की ओर से मूल वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि उसको विवादित भूमि वाद संख्या 11/2013 शीर्षक सरकार बनाम् वरयामसिंह मुरब्बा नं. 47 चक 4 बी बड़ी के 20 बीघा तहसील व जिला श्रीगंगानगर, अप्रार्थी/प्रतिवादी सं.2 द्वारा निलाम की गई, जिस पर इसके द्वारा 1/4 राशि दिनांक 14.6.2013 को निक्षिप्त करवा दी। उसके द्वारा बोली निलामी का

अनुमोदन अतिरिक्त जिलाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 20.9.2013 को किया गया, जिसके पश्चात् इसके द्वारा बकाया राशि दिनांक 1.10.2013 को 89250 रूपये निक्षिप्त करवा दी और उसको उक्त भूमि एक वर्ष अर्थात् 2013—14 के लिए काश्त पर सुपुर्द दिये जाने का आदेश हुआ एंव तहसीलदार के आदेशों की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 25.10.2013 को मौके पर फसल नष्ट करके खाली भूमि का कब्जा दिया गया। उस समय किसी भी फसल बोने का समय नहीं था व इस प्रकार वह निलामी की राशि के बावजूद भी किसी प्रकार की फसल बोकर अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर पाया तथा दिनांक 24.3.2014 को अप्रार्थी/प्रतिवादी सं.2 द्वारा सूचना—पत्र प्रेषित किया कि अब पुनः निलामी वर्ष 2014—15 के लिए दिनांक 28.4.2014 को की जावेगी। इस पर प्रार्थी ने दिनांक 28.4.2014 को अप्रार्थी सं.2 के समक्ष निवेदन किया कि उसके द्वारा निलामी राशि जमा करवाने के पश्चात् एक वर्ष का काश्त करने का अधिकारी है, अभी निलामी की अवधि समाप्त नहीं हुई है, इसलिये पुनः बोली वर्ष 2014 में नहीं की जा सकती तथा अप्रार्थी पक्ष द्वारा पूर्व निलामी समयावधि समाप्ति से पूर्व ही पुनः निलामी कार्यवाही कर प्रार्थी से भूमि का कब्जा प्राप्त करने की आशंका के कारण स्थायी निषेधात्मक व्यादेश के अनुतोष का वाद पत्र प्रस्तुत किया तथा वाद पत्र के क्रम में ही अस्थायी अनुतोष के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु अपने पक्ष में होना अंकित करते हुए, अप्रार्थी पक्ष के विरूद्ध वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा निर्गमित करने हेतु यह विविध दीवानी प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया।

3. अप्रार्थी/प्रतिवादी सं.1 व 2 की ओर से इस विविध दीवानी प्रार्थना पत्र का प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया कि प्रा.सैटलमेंट कमिश्नर एंव अति. जिला कलेक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 12.12.2000 की पालना में चक 4 बी बड़ी के मुरब्बा नं. 47 की 20 बीघा कृषि भूमि का कब्जा दिनांक 6.2.2001 को हल्का गिरदावर द्वारा रिसीवर के रूप में प्राप्त कर प्रतिवर्ष काश्त व्यवस्था हेतु ठेका निलामी की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2013—14 हेतु दिनांक 13.6.2013 से निलामी की कार्यवाही संपन्न हुई, जिसमें धर्मसिंह के नाम 1,07,000रूपये में स्वीकृत की जाकर अनुमोदन हेतु अति.जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर को भिजवायी गई तथा मौके पर 1/4 राशि निक्षिप्त करवायी गई एंव बोली का अनुमोदन दिनांक 20.9.13 को प्राप्त होने पर बोलीदाता द्वारा दिनांक 26.9.13 को राशि बकाया 3/4 निक्षिप्त करवाने के उपरांत कब्जा दिया गया। निलामी बोलीदाता को वर्ष 2013—14 के लिए दिनांक 13.4.2014 तक है व प्रार्थी को निलामी की शर्तों से अवगत करा दिया गया था एंव प्रार्थी द्वारा

इसके पश्चात् ही बोली लगाई गई थी व सहमति पर हस्ताक्षर किये गए हैं। प्रार्थी को वर्ष 2013—14 की काश्त व्यवस्था हेतु भूमि ठेका पर दी गई जिसकी समयावधि दिनांक 13.4.2014 को पूरी हो चुकी है तथा वर्ष 2014—15 की निलामी हेतु विज्ञापन निर्गमित किये जाकर दिनांक 28.4.2014 को निलामी रखी गई थी व प्रार्थी को उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया है व प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होना व्यक्त करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी पक्ष अस्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रार्थी पक्ष की ओर से अपने पक्ष समर्थन में निलामी राशि निक्षिप्त करवाने संबंधी चालान व व रसीद, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा अनुमोदन हेतु पत्र दिं. 20.9.13, कब्जा देने संबंधी प्रविष्टि की दैनिक डायरी पटवारी हल्का दुल्लापुरकेरी की प्रतियां अभिलेख पर प्रस्तुत की गई।

5. अप्रार्थी पक्ष की ओर से अपने पक्ष समर्थन में वर्ष 2014—15 हेतु निलामी सूचना दिनांकित 14.3.2014, तहसीलदार का पत्र दिनांक 9.4.2015, वर्ष 2013—14 हेतु निलामी सूचना दिनांकित 27.5.2013, वर्ष 2013—14 की फर्द निलामी की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

6. बहस उभय पक्ष सुनी गई। मूल वाद की पत्रावली व विविध दीवानी प्रकरण की पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। मुख्यतः न्यायालय को निम्न तीन बिन्दुओं पर विचार करना होता है—

(1) प्रथम दृष्टया मामला
(2) सुविधा का संतुलन
(3) अपूर्णनीय क्षति

उक्त तीनों बिन्दुओं के निस्तारण के संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है—

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

7 इस बिन्दु के संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों की ही पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि निलामी के अंतर्गत कृषि भूमि को वर्ष 2013—14 में एक वर्ष के लिए काश्त पर दिया गया था और प्रार्थी द्वारा एक वर्ष तक भूमि का उपयोग व उपभोग किया जाना अपेक्षित था। परन्तु बोली अनुमोदन के पश्चात् समस्त राशि निक्षिप्त करवाई जाकर समय पर कब्जा नहीं दिया गया और दिनांक 25.10.2013 को मौके पर फसल नष्ट करके खाली भूमि

का कब्जा संभलाया गया, उस समय किसी भी फसल बोने का समय नहीं था व प्रार्थी किसी प्रकार की फसल बोकर अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर पाया और पुनः निलामी सूचना निर्गमित कर दी गई, जबकि प्रार्थी के पक्ष में निलामी की अवधि 2013—14 पूरे वर्ष के लिए है व वर्ष 2014 में पुनः बोली नहीं की जा सकती। इसलिये उनका प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है। जबकि अप्रार्थी पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि निलामी की शर्तों के अनुसार वर्ष 2013—14 के अंतर्गत एक वर्ष के लिए कृषि भूमि काश्त हेतु अनुज्ञेय की गई थी तथा उक्त समयावधि समाप्ति दिनांक 13.4.2014 को होने पर भूमि का कब्जा वापिस अप्रार्थी पक्ष को सुपुर्द किया जाने की शर्त थी। जिसे स्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा निलामी के अंतर्गत देय बोली राशि निक्षिप्त करवायी गई व भूमि का कब्जा प्राप्त कर किया गया एंव फसल बिजाई की गई तथा नियत समयावधि उपरांत अपेक्षानुरूप आगामी वर्ष 2014—15 हेतु उक्त कृषि भूमि की काश्त व्यवस्था के लिए अप्रार्थी पक्ष द्वारा निलामी कार्यवाही प्रांरभ की गई है, जो विधिनुसार है एंव प्रार्थी को निलामी के अंतर्गत प्रश्नगत कृषि भूमि में काश्त हेतु अनुज्ञेय समयावधि समाप्त होकर प्रभावहीन होने से पुनः निलामी हेतु सूचना निर्गमित की गई। प्रार्थी द्वारा समयावधि समाप्ति तिथि 13.4.2014 के उपरांत दिनांक 29.4.014 को वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जो अनुतोष याचित किया है, वह प्रारंभ से ही समयावधि बाहर होकर निष्फल हो चुका है। प्रार्थी को मूल वाद में किसी भी प्रकार से सफलता मिलने की उम्मीद नहीं होना व्यक्त करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी इस बिन्दु को प्रमाणित करने में किसी भी प्रकार से सफल नहीं रहा हैं तथा प्रार्थी के पक्ष में किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं होना व्यक्त करते हुए इस बिन्दु का निस्तारण प्रार्थीगण के विरूद्ध करने व प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया।

8. उभय पक्ष के तर्क—वितर्क पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

9. अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का साम्य व सद्विवेक के आधार पर निस्तारण किये जाने की व्यवस्था है तथा प्रार्थी को वादग्रस्त विषय वस्तु में अधिकार सृजित होना प्रकट होता है और प्रतिपक्षी पक्षकार द्वारा प्रार्थी के अधिकारों का विधि विरूद्ध उल्लंघन किया जाना प्रकट होता है तो प्रार्थी को वॉछित अनुतोष संबंधी उपचार प्रदान करके न्यायालय द्वारा संरक्षण दिया जाता है। इसके विपरीत यदि प्रार्थी का न्यायालय के समक्ष शुद्ध हस्त से आना प्रकट नहीं होता है तथा स्वंय प्रार्थी द्वारा ही साम्य विचलित किया जाना प्रकट होता है तो प्रार्थी को वॉछित अनुतोष का उपचार देते हुए न्यायालय स्तर पर संरक्षण

प्रदान नहीं किया जा सकता।

10. हस्तगत प्रकरण में यह निविर्वादित है कि प्रार्थी को चक 4 बी बड़ी के मुरब्बा नं. 47 की 20 बीघा कृषि भूमि जो कि वाद संख्या 11/2001 शीर्षक सरकार बनाम् वरयामसिंह के अंतर्गत रिसीवर के नियंत्रण व आधिपत्य में है, की काश्त व्यवस्था हेतु वर्ष 2013—14 के लिए निलामी बोली प्रार्थी धर्मसिंह के पक्ष में स्वीकार होकर, उसके द्वारा देय राशि निक्षिप्त करवाये जाने पर, निलामी शर्तों के अनुसार एक वर्ष के लिए प्रार्थी को दी गई व प्रार्थी द्वारा भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया। अप्रार्थी पक्ष का यह कथन रहा है कि निलामी वर्ष 2013—14 की समयावधि दिनांक 13.4.2014 को समाप्त होने पर आगामी वर्ष में काश्त व्यवस्था हेतु पुनः निलामी के लिए सूचना निर्गमित की गई हैं एंव पूर्व में प्रार्थी धर्मसिंह को अनुज्ञेय समयावधि समाप्त हो चुकी है। प्रार्थी की ओर से न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई अभिवाक् नहीं किया गया है कि उसके द्वारा निलामी के अंतर्गत काश्त हेतु प्राप्त कृषि भूमि में वर्ष 2013—14 के उपरांत आगामी समयावधि के लिए भी वह निलामी शर्तों के अंतर्गत काश्त करने हेतु अनुज्ञेय किया गया हों। अपितु अभिलेख पर अप्रार्थी पक्ष की ओर से कार्यालय तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा वर्ष 2013—14 हेतु निर्गमित की गई निलामी सूचना दिनांकित 27.5.2013 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें शर्त संख्या—6 का यहां अंकन किया जाना उचित होगा, जो निम्न प्रकार है—

> <u>निलामी की शर्त संख्या—6</u>
>
> बोलीदाता को दिनांक 13.4.2014(वैशाखी) को कब्जा सरकार को वापिस सौंपना होगा नहीं तो स्वतः सौंपा हुआ समझा जावेगा।

उक्त निलामी सूचना व उसकी शर्तों के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत कृषि भूमि की काश्त व्यवस्था के लिए निलामी वर्ष 2013—14 हेतु समयावधि समाप्ति तिथि 13.4.2014 स्पष्ट रूप से सूचना में प्रकाशित की गई और इसका प्रार्थी को पूर्व ज्ञान था व उसके द्वारा निलामी कार्यवाही में सफल बोलीदाता के रूप में निलामी की शर्तों को स्वीकार कर नियमानुसार राशि निक्षिप्त करवाकर भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया, किन्तु निलामी वर्ष की समयावधि समाप्त होने पर भूमि का कब्जा अप्रार्थी पक्ष को सौंपे जाने के दायित्वाधीन होने से, प्रार्थी का स्वच्छ हाथों से न्यायालय में आना प्रकट नहीं होता है। अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि की काश्त व्यवस्था हेतु आगामी वर्ष 2014—15 के लिए निलामी सूचना निर्गमित की गई है, जो स्पष्टतः वर्ष 2013—14 के उपरांत की समयावधि से संबंधित है। जबकि प्रार्थी को निलामी वर्ष 2013—14 के अंतर्गत कृषि भूमि काश्त के लिए अनुज्ञेय समयावधि दिनांक

13.4.2014 को समाप्त हो चुकी है। ऐसे में पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेख और अभिकथनों से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित होना प्रकट नहीं होता है तथा यह बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध व अप्रार्थीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति

11. विवेचन व विश्लेषण की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इन दोनों बिन्दुओं का संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया मामले के बिन्दु पर विस्तृत विवेचन व विश्लेषण के क्रम में पारित निष्कर्ष के अंतर्गत प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित होना नहीं पाया गया है तथा वांछित अनुतोष के अंतर्गत प्रश्नगत कृषि भूमि की निलामी कार्यवाही न किये जाने व प्रार्थी को निष्कासित न करने हेतु याचित अनुतोष के क्रम में, प्रार्थी को निलामी वर्ष 2013—14 के अंतर्गत उक्त भूमि में काश्त हेतु अनुज्ञेय समयावधि दिनांक 13.4.2014 को समाप्त होकर, आगामी वर्ष हेतु भूमि में अप्रार्थी पक्ष द्वारा काश्त व्यवस्था की अपेक्षाधीन तुलनात्मक रूप से प्रार्थी को हानि होने की या अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना भी प्रकट नहीं होने के कारण, इन दोनों बिन्दुओं के संबंध में विस्तृत विवेचन व विश्लेषण नहीं किया जा रहा है तथा संक्षिप्त विवेचन के क्रम में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध निस्तारित किये जाते हैं।

12. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के क्रम में प्रथम दृष्टया मामले का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निस्तारित किया गया है तथा इसी क्रम में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध निस्तारित किये गए हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी पक्ष का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार किये जाने योग्य है।

13. **निष्कर्षतः** प्रार्थी धर्मसिंह का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी व्यादेश विरूद्ध जिलाधीश आदि, अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाता है।

(प्रियंका पारीक)

14. आदेश आज दिनांक 09.07.2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका पारीक)